न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—153/2019/223 (2019/00153)

1. विक्रम पुत्र फ्रामजी उर्फ पूनम, जाति सांसी,निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर जरिये पॉवर ऑफ अट्रोर्नी होल्डर, मदन पुत्र रामचन्द, जाति सांसी, नि0 ग्राम लोहरवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. शिवराज पुत्र छोटू, जाति जाट, निवासी ग्राम लोहरवाड़ा, तह0नसीराबाद, जिला अजमेर ।
3. उप पंजीयक, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, दिनांक 5.6.2015 अंतर्गत वाद संख्या 243/2012.

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 .
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 11.9.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 तथा धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत मय अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि के पेश कर निवेदन किया कि वादी के पिता को आराजी खसरा नंबर 2352 पुराना 2731 नया रकबा 2—13—00 तथा खसरा नंबर 251 पुराना नया 289 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद दिनांक 26.11.1975 को पंचायत मुख्यालय लोहरवाडा में राज्य सरकार के भू—आवंटन अभियान के तहत आवंटन हेतु मिटिंग की जाकर आवंटन अधिकारी, अति0 तहसीलदार, सरपंच, ग्राम पंचायत, लोहरवाड़ा, गिरदावर, पटवारियान की मौजूदगी में अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति होने से आवंटित की गई जो क्रमांक नंबर 91 पर अंकित किया गया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1507 (आ.) रकबा 1.89 है0व व खसरा नंबर 4343 रकबा 0.43 है0 तथा खसरा नंबर

1952 आ. रकबा 0.49 व खसरा नंबर 1914 रकबा 0.15 है0 है । वादी के पिता आवंटन दिनांक से विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । वाद में यह भी निवेदन किया कि बाद उक्त आवंटन उसके पिता को विधिक जानकारी नही होने से उसके पिता खसरा गिरदावरी में अपने नाम अंकन देखकर आश्वस्त हो गये कि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज हो चुकी है । परन्तु कालांतर में अकाल पड़ने पर उनके द्वारा आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व उसके पिता को बंटाई पर दी जाकर कमाने खाने बाहर चले गये । वादी के पिता उनके जीवनकाल तक बंटाई लेते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी बंटाई लेता आ रहा है किन्तु विवादित आराजी की जमाबंदी बाबत् पटवारी हल्का से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से आराजी को बिना किसी आदेश के सिवायचक दर्ज कर भूमि खसरा नंबर 2731 में से रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का नामांतकरण संख्या 673 दिनांक 23.8.2001 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के नाम आवंटन कर दिया गया । अतः वाद वादी स्वीकार वादी को विवादित आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज खसरा नंबर 2731 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का इंद्राज प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से हटाया जाकर वादी के नाम दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6. 2015 को वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादी के पिता को आराजी खसरा नंबर 2352 पुराना 2731 नया रकबा 2–13–00 तथा खसरा नंबर 251 पुराना नया 289 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद दिनांक 26.11.1975 को पंचायत मुख्यालय लोहरवाडा में राज्य सरकार के भू–आवंटन अभियान के तहत आवंटन हेतु मिटिंग की जाकर आवंटन अधिकारी, अति0 तहसीलदार, सरपंच, ग्राम पंचायत, लोहरवाड़ा, गिरदावर, पटवारियान की मौजूदगी में अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति होने से आवंटित की गई जो क्रमांक नंबर 91 पर अंकित किया गया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1507 (आ.) रकबा 1.89 है0व व खसरा नंबर 4343 रकबा 0.43 है0 तथा खसरा नंबर 1952 आ. रकबा 0. 49 व खसरा नंबर 1914 रकबा 0.15 है0 है । विवादित आराजियात वादी के पिता आवंटन दिनांक से विवादित भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है । वाद में यह भी निवेदन किया कि बाद उक्त आवंटन उसके पिता को विधिक जानकारी नही होने से उसके पिता खसरा गिरदावरी में अपने नाम अंकन देखकर आश्वस्त हो गये कि राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज हो चुकी है । परन्तु कालांतर में अकाल पड़ने पर उनके द्वारा आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व उसके पिता को बंटाई पर दी जाकर कमाने खाने बाहर चले गये । वादी के पिता उनके जीवनकाल तक बंटाई लेते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी बंटाई लेता आ रहा है किन्तु विवादित आराजी की जमाबंदी बाबत् पटवारी हल्का से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से आराजी को बिना किसी आदेश के सिवायचक दर्ज कर भूमि खसरा नंबर 2731 में से रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का नामांतकरण संख्या 673 दिनांक 23.8.2001 के तहत प्रतिवादी संख्या 2 के नाम आवंटन कर दिया गया जो गलत है। विवादित भूमि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को बांटे पर दिये जाने से यह नहीं माना जा सकता कि मालिक प्रतिवादी हो या प्रतिवादी का

कब्जा बहैसियत मालिक हो । वादी/अपीलांट के पिता के पक्ष में हुआ आवंटन आदेश आज दिवस तक यथावत् है। पूर्व आवंटन के यथावत् रहते भूमि पुनः आवंटित नहीं की जा सकती थी । अधी0न्याया0 ने तनकियात कायम कर उसी दिन बिना साक्ष्य लिये तथा पक्षकारों की बहस सुने बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो नैसगिक न्याय के सिद्धांतों तथा विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधी0न्याया0 ने अपीलांट/वादी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गरीब काश्तकार होकर कानून से अनभिज्ञ होकर अपने अधिवक्ता के पास जाकर हर तारीख पेशी पर संपर्क नहीं कर सका । दिनांक 9.9.2015 को अपने अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण में प्रगति बाबत् जानकारी चाहने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण को अधी0न्याया0 द्वारा खारिज किया जा चुका है तत्पश्चात् नकल हेतु आवेदन करने पर दिनांक 10.9.2015 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 3 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । खसरा नंबर 2731 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का छोटी पट्टी के रूप में आवंटन शिवराज पुत्र छोटू जाट को किया गया था जिसकी पालना में जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 673 दिनांक 23.8.2002 स्वीकृत किया गया है । विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक होने से रेस्पो0 संख्या 2 को आवंटित की गई है जो विधिसम्मत् आदेश है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को गुणागुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार किया जाता है तथा अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का कथन है कि वादी/अपीलांट के पिता को आराजी खसरा नंबर 2352 पुराना 2731 नया रकबा 2–13–00 तथा खसरा नंबर 251 पुराना नया 289 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम लोहरवाड़ा, तहसील नसीराबाद दिनांक 26.11.1975 को पंचायत मुख्यालय लोहरवाडा में राज्य सरकार के भू–आवंटन अभियान के तहत आवंटन हेतु मिटिंग की जाकर आवंटन अधिकारी, अति0 तहसीलदार, सरपंच, ग्राम पंचायत, लोहरवाड़ा, गिरदावर, पटवारियान की मौजूदगी में अनुसूचित जाति के भूमिहीन व्यक्ति होने से आवंटित की गई जो क्रमांक नंबर 91 पर अंकित किया गया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 1507 (आ.) रकबा 1.89 है0व व खसरा नंबर 4343 रकबा 0.43 है0 तथा खसरा नंबर 1952 आ. रकबा 0.49 व खसरा नंबर 1914 रकबा 0.15 हेक्टेयर है । विवादित आराजियात पर वादी के पिता आवंटन दिनांक से काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे परन्तु कालान्तर

में अकाल पड़ने पर उनके द्वारा आराजी को प्रतिवादी संख्या 2 व उसके पिता को बंटाई पर दी जाकर कमाने खाने बाहर चले गये थे । वादी के पिता उनके जीवनकाल तक बंटाई लेते रहे तथा उनकी मृत्यु उपरांत वादी बंटाई लेता आ रहा है किन्तु पटवारी हल्का से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व कर्मचारियों की गलती से आराजी को बिना किसी आदेश के सिवायचक दर्ज कर भूमि खसरा नंबर 2731 में से रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा का नामांतकरण संख्या 673 दिनांक 23.8.2001 को प्रतिवादी संख्या 2 के नाम आवंटन कर दिया गया जो गलत है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 2731 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा भूमि का छोटी पट्टी के रूप में आवंटन रेस्पो0 संख्या 2 शिवराज पुत्र छोटू, जाति जाट को किया जाकर नामांतकरण संख्या 673 दिनांक 23.8.2002 तस्दीक किया गया है । बरवक्त आवंटन विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी । यद्यपि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष आवंटन आदेश की अप्रमाणित फाटो प्रति पेश की है जिसमें क्रम संख्या 91 पर फ्रामजी पुत्र रामचन्दर भांभी का नाम अंकित है किन्तु उक्त दस्तावेज अप्रमाणित फोटो प्रतियां होने से विधिनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । अपीलांट ने उक्त आवंटन दिनांक 26.11.1975 को होना बताया है किन्तु अपीलांट ने उक्त आवंटन आदेश की पालना में उसे कब कब्जा सुपुर्द किया गया तथा कब गैर खातेदारी का अंकन किया जाकर गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार कब प्राप्त हुए इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है । जहां तक अपीलांट द्वारा विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 को बंटाई पर दिये जाने का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांट ने बंटाई संबंधी कोई लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि विवादित आराजी अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को बंटाई पर दी गई हो । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 2 को बरवक्त आवंटन विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी इसी कारण रेस्पो0 संख्या 2 को छोटी पट्टी के रूप में आवंटन किया गया था तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 के नाम दर्ज है । वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने का दायित्व वादी स्वंय का है जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीरबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.6.2015 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर